न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या	15 / 2018
प्रविष्टि दिनांक	19.11.2018
निर्णय दिनांक	03.12.2018

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक, टोंक

..... सायल

बनाम

श्री कैलाश पुत्र रामफूल जाति बैरवा निवासी सोलतपुरा थाना अलीगढ जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—1—सहायक लोक अभियोजक प्रथम, राजकीय पेरोकार
2— गैर सायल

निर्णय

दिनांक 03.12.2018

पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल कैलाश पुत्र रामफूल जाति बैरवा निवासी सोलतपुरा थाना अलीगढ जिला टोंक के विरूद्व यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृति में लीन है, अतः गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बने रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया गैर सायल द्वारा आरोपों से इन्कार किया तथा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। बहस सुनी गई।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्व न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरूद्व तहत अभियोग क्रमशः 32 / 2016 दिनांक 07.06.2016,04 / 2017 दिनांक 18.01.2017,29 / 2017 दिनांक 05.05.2017,72 / 2017 दिनांक 08.08.2017,94 / 2017 दिनांक 18.11.2017 व 06 / 2018 दिनांक 15.01.2018 थाना अलीगढ को धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। सहायक लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि उक्त अभियोग जुआ अधिनियम से संबंधित है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों से समाज के लोंगो पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

काफी बुरा असर पड रहा है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावें।

गैर सायल ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणो में आरोप लगाये गये है वह केवल 13 आरजीपीओ के है न कि किसी बडे अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणो का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा सहायक लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरूद्व उक्त प्रकरण 13 आरजीपीओ (जुआ/सटटा खेलने, खिलाने) से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ खेलने व खिलाने का आदी है इस कारण समाज के लोगो पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल कैलाश पुत्र रामफूल जाति बैरवा निवासी सोलतपुरा थाना अलीगढ जिला टोंक को दिनांक 11.12.2018 तक की अवधि के लिए विधान सभा आम चुनाव 2018 मे शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला टोंक से जिला सवाई माधोपुर के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधो की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना अलीगढ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक